संख्या–2333 / 9–आ–1–आई.डी.एस.एम.टी. / 2002(आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–17 जून, 2002

विषय : आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा व्यवस्था विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाए :–

(i) आई.डी.एस.एम.टी. योजना की समीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें (क्रमशः माह अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर तथा फरवरी) में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं । समीक्षा बैठक में केवल अधिशासी अधिकारियों व सहयुक्त / सहायक नगर नियोजकों को ही बुलाया जाए। अपरिहार्य कारणोवश यदि उनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है, तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगे। उक्त बैठक माह के द्वितीय बृहस्पतिवार को आयोजित की जाएगी एवं राजकीय अवकाश होने की दशा में अगले कार्य–दिवस में बैठक आयोजित की जाए।

(ii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उक्त बैठक अपनी अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय, लखनऊ पर आयोजित की जाएगी।

(iii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक शासन स्तर से सम्बन्धित मुद्दे, प्रकरण एवं समस्याओं को चिन्हित कर, बैठक के उपरान्त तीन दिन के अन्दर शासन के संज्ञान एवं निराकरण हेतु विशेष सचिव, आवास अनुभाग–3 के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(iv) जहाँ पर किसी भी अधिकारी, विशेषकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अवर अभियंता अथवा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी को एक से अधिक इकाई का कार्यभार सौंपा गया है तो ऐसे अधिकारियों को प्रत्येक इकाई / स्थानीय निकाय के लिए सप्ताह में न्यूनतम एक दिन निर्धारित करने के उपरान्त सम्बन्धित इकाईयों / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत को अवगत करा दिया जाए। किसी इकाई का प्रभार अन्य इकाई के अधिशाषी अधिकारी, अवर अभियंता या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो तिथि निर्धारित की जाएगी वह तीनों अधिकारियों के लिए एक ही होगी।

(v) आई.डी.एस.टी. की जितनी भी इकाइयाँ कार्यरत हैं उन सभी इकाईयों के लिए तत्काल सहयुक्त नियोजक / सहायक नियोजक की तैनाती / सम्बद्धता की व्यवस्था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

सुनिश्चित करेंगे। यदि इकाईयों की संख्या से अधिकारियों की संख्या कम है तो ऐसी दशा में ऐसी इकाईयों का प्रभार निकटस्थ खण्ड/इकाई में तैनात सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक को प्रभार सौंपने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2. कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 2333(1)/9–आ–1–आई.डी.एस.एम.टी./2002आ.ब. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4. सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

5. गार्ड फाइल में अभिलेख हेतु।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।